

प्रेषक,

डॉ० रणवीर सिंह,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-04

देहरादून: दिनांक: 24 जनवरी, 2018

विषय: अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास की योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन को सन्दर्भित अपने विभिन्न पत्रों के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित निर्माण कार्य/योजनाओं को स्वीकृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत संलग्न अलौटमेन्ट आई.डी. संख्या-S.1201300.364. दिनांक 24.11.18 के अनुसार कुल ₹297.33 लाख (रुपये दो करोड़ सत्तानब्बे लाख तेतीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. प्रश्नगत धनराशि का व्यय करते समय वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या:-1362/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 27.12.2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. उक्त धनराशि का वितरण योजना संचालन सम्बन्धी उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उपयोजना (नियोजन धनावंटन तथा उपयोग) अधिनियम, 2013 एवं सपठित शासनादेश संख्या-125/XVII(1)/09-42(प्रकोष्ठ)2007 दिनांक 13 फरवरी, 2009 एवं सपठित शासनादेश संख्या-341/XVII-1/2012-42(प्रकोष्ठ) 2007 दिनांक 05.11.2012 में उल्लिखित प्रक्रिया एवं शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
3. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में पूर्व से स्वीकृत/संचालित न हों।
4. प्रश्नगत योजना में धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी सभी मानकों के पूर्ण होने एवं समुचित परीक्षणोंपरान्त/निरीक्षणोंपरान्त यह प्रमाणित कर उक्त योजना हेतु अनुसूचित जाति का निर्धारित प्रतिशत या बस्ती/तोक/मजरे का प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में पुष्टि कर तथा योजना के उद्देश्य के अनुसार केवल अनुसूचित जाति के समूह/परिवार ही लाभान्वित हो रहे हैं, सुनिश्चित होने की पुष्टि के उपरान्त ही स्वीकृत धनराशि ही कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जायेगी।
5. कोषागार से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा जितनी तत्काल कार्यदायी संस्था को दिये जाने की आवश्यकता हो। किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते/पोस्ट आफिस खाते में नहीं रखा जायेगा।
6. उक्त आबंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हों तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये।

7. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।
8. स्वीकृत धनराशि का उपयोग योजनान्तर्गत संस्तुत कार्यों हेतु प्रत्येक दशा में चालू वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण करते हुए सम्पूर्ण कार्य हेतु योजना हेतु प्रख्यापित एक्ट, निर्गत शासनादेशों की व्यवस्था अगले वित्तीय वर्ष में कोई धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी और न ही आंगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित किया जायेगा।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवश्य प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त प्रमाण-पत्र/प्रगति विवरण शासन को समय से प्रेषित न किए जाने की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं निदेशक, समाज कल्याण का होगा।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 में निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
12. अधिप्राप्ति सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध में Uttarakhand Procurement Rules, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
13. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-30 के लेखाशीर्षक 4225-अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 800-अन्य व्यय 03-अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
14. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:-610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न- यथोक्त।

भवदीय,

23/11/2018  
(डॉ० रणवीर सिंह)  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 58 /XVII-4/2018-11(03)/2017-TC, तददिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
3. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(डा० राम बिलास यादव)  
अपर सचिव।

क्र सं.	कार्य का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	विधान सभा
1.	ग्राम रायपुर दर्रेडा में शमशान घाट की चार दीवारी निर्माण।	15.06	ज्वालापुर
2.	ग्राम पंचायत सोलहपुर सिकरोढा में विनोद पुत्र लाल सिंह हरिजन बस्ती के मुख्य मार्ग से होते हुए सी0सी0 सड़क निर्माण।	14.60	ज्वालापुर
3.	ग्राम रोहालकी दयालपुर में सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	11.07	भगवानपुर
4.	ग्राम पंचायत माहेश्वरी के ग्राम डाडली में अनु0जाति बस्ती में अम्बेडकर की छत्री एवं प्रतिमा एवं सी0सी0मार्ग	8.54	भगवानपुर
5.	ग्राम पंचायत व्यासी के ग्राम व्यासी में 200 मी0सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	4.25	नैनीताल
6.	ग्राम पंचायत सिल्टौना के सिल्टौना में अर्न्तग्रामीण सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	8.73	नैनीताल
7.	ग्राम पंचायत घोड़िया हल्सों के ग्राम घोड़िया हल्सों से चिलकिया मार्ग निर्माण।	8.80	नैनीताल
8.	विकासखण्ड के ग्राम भद्राली की अनु0जाति बस्ती में मतवाणी तोक में पुलिया निर्माण।	24.35	पुरोला
9.	ग्राम पंचायत रतनपुरा के ग्राम रतनपुरा में एस0सी0बस्ती में मुख्य सड़क से चन्द्रपाल योगराज, प्रेमवती और इन्दर आदि के घरों तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	3.31	बाजपुर
10.	ग्राम पंचायत रतनपुरा के ग्राम रतनपुरा में सीता कॉलोनी एस0 सी0बस्ती में गुलडिया मुख्य ग्रामीण सड़क से हुकुम सिंह, करम सिंह, आदि के घरों तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	2.49	बाजपुर
11.	ग्राम पंचायत जोगीपुरा के जोगीपुरा (जहाँगीरपुरी) की एस0सी0 बस्ती में मुख्य सड़क से बून्दा देवी, शालीग्राम, ऋषिपाल, सतपाल और संजय आदि के घरों तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण	2.78	बाजपुर
12.	ग्राम पंचायत सेमलपुरी के ग्राम सेमलपुर में सीताराम के घर से जगत के घर/नदी तक सी0सी0 सड़क का निर्माण	2.37	बाजपुर
13.	ग्राम खेलडिया में सम्पर्क मार्ग से दक्षिण की ओर आबादी तक सी0सी0 मार्ग निर्माण।	7.82	खटीमा
14.	ग्राम सिसैया के सम्पर्क मार्ग से सीताराम के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण	3.91	खटीमा
15.	ग्राम सिसैया के मुख्य मार्ग से प्रभु के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण	7.17	खटीमा
16.	ग्राम खेलडिया में सम्पर्क मार्ग से सपन के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण	7.82	खटीमा
17.	ग्राम खेलडिया में सम्पर्क मार्ग से रामधर के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण	6.52	खटीमा
18.	ग्राम थाती के अनुसूचित जाति बस्ती के नीचे सुरक्षा दीवार निर्माण	22.64	गंगोत्री
19.	ग्राम पंचायत खुन्ना अलमान के ग्राम चिल्ला में सी0सी0 खडिन्जा निर्माण।	3.00	विकासनगर
20.	कुनवा खड्ड पर पुलिया एवं पहुंच मार्ग निर्माण।	7.58	विकासनगर
21.	ग्राम कुन्ना के मुनोग में घराट से क्वारी तक हौज एवं नहर निर्माण।	7.7	विकासनगर
22.	ग्राम मिस्सरास पटी में पंचायती घर से इन्द्र सिंह गजेन्द्र आदि की घरों की ओर सी0सी0 मार्ग निर्माण।	2.88	सहसपुर
23.	ग्राम मनिआगर के कलसीरा में पाड़गाड तोक तक पेयजल योजना।	30.00	जागेश्वर
24.	ग्राम सिल्ला में अनु0जाति बस्ती दुरमाला में सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	7.67	मसूरी
25.	ग्राम सिल्ला में अनु0जाति बस्ती सिंगा की धार में सी0सी0 मार्ग निर्माण।	5.57	मसूरी
26.	ग्राम गांधीनगर में मझरा दफौट के पास शमशानघाट व प्रतीक्षालय कक्ष का निर्माण।	30.22	रामनगर
27.	ग्राम कुन्ना के क्यारकटी में गूल निर्माण।	9.86	चकराता
28.	ग्राम खौड़ी पुल से वासिया के ओर सी0सी0 मार्ग/दीवार का निर्माण।	15.50	जागेश्वर
29.	ग्राम गौना के जूनियर हाईस्कूल के खेल मैदान में सुरक्षा दीवार निर्माण।	15.12	अल्मोड़ा
<b>कुल योग</b>		<b>297.33</b>	

(रूपये दो करोड़ सत्तानब्बे लाख तेतीस हजार मात्र)

23/1/2018

HOD Name - Director Social Welfare (4708)

लेखा शीर्षक 4225 - अनुसूचित जातियों/ जनजातियों तथा अन्य पिछड़े व 01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण  
 800 - अन्य व्यय  
 03 - अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास  
 00 - अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	0	29733000	29733000
	0	29733000	29733000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

29733000

*M.S.* 24-1-18  
 (नरेंद्र सिंह नेगी)  
 अनुभाग अधिकारी  
 समाज कल्याण अनुभाग-04